

## भुगतान रहित/अदावी लाभांश

कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है कि 7 वर्षों की अवधि तक के जिस लाभांश का भुगतान नहीं किया गया अथवा जो लाभांश अदावी रहे है, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा स्थापित इंवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) में स्थानांतरित कर दिया जाए। ऐसे अदावी लाभांश का दावा करने के संबंध में कंपनी अपने शेयरधारकों को लिखित में सालाना आधार पर परामर्श देगी। शेयरधारकों को यह ध्यान रखना होगा कि दावा रहित लाभांश के आईईपीएफ में ट्रांसफर होने पर किसी भी तरह का दावा कंपनी पर नहीं होगा।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने लाभांश की हकदारी जांच लें। जिन शेयरधारकों ने उपर्युक्त वर्षों हेतु अपना लाभांश नहीं लिया है, वे कंपनी अथवा कंपनी के आर एंड टी एजेंट, मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसिस(प्रा.) लि., बीटल हाऊस, तृतीय तल, 99 मदनगीर, लोकल शॉपिंग काम्प्लैक्स के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के पास, नई दिल्ली – 110062 को लिख सकते हैं।

भुगतान रहित/अदावी लाभांश के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित लिंक को क्लिक कर सकते हैं:-

वर्ष	विवरण	
2009-10	<a href="#">अंतरिम</a> (60%)	<a href="#">अंतिम</a> (80%)
2010-11	<a href="#">अंतरिम</a> (75%)	<a href="#">अंतिम</a> (80%)
2011-12	<a href="#">अंतरिम</a> (75%)	<a href="#">अंतिम</a> (90%)
2012-13	<a href="#">अंतरिम</a> (80%)	<a href="#">अंतिम</a> (95%)
2013-14	<a href="#">अंतरिम</a> (70%)	<a href="#">अंतिम</a> (53%)
2014-15	<a href="#">अंतरिम</a> (80%)	<a href="#">अंतिम</a> (54%)
2015-16	<a href="#">अंतरिम</a> (80%)	<a href="#">अंतिम</a> (55%)